

विषय सूची

इस अंक में...

प्रश्नपत्र - 1



निर्माण सिविल सर्विसेज मासिक पत्रिका

जनवरी, 2019 (अंक: 6)

मुख्य संपादक :

कमलदेव सिंह

संपादक :

रजनीश कुमार

इमियाज खान

संपादकीय सलाहकार :

स्वदीप कुमार

सहयोगी :

मनीष प्रियदर्शी, तस्लेन्ड कुँवर, सुब्रत पाण्डेय, कृष्ण
कुमार एवं रविकांत

ग्राफिक्स एंड डिजाइन :

संतोष कुमार झा, पंकज तिवारी, एवं संतोष झा

वितरक :

जितेन्द्र कुमार: (7982416161)

मनीष कुमार

© प्रकाशक

HEAD OFFICE

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi
Vihar Bandh) Delhi-110009

ENQUIRY OFFICE

631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar,
Delhi-09

Website: www.nirmanias.com

E-mail: nirmanias07@gmail.com

Ph.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

➤ मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट	1
➤ जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हुई हड्ड्पा सभ्यता	1
➤ मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार	2
➤ विश्व शौचालय दिवस	3
➤ मलेशिया के 80% मामले भारत और अफ्रीकी देशों से: डब्ल्यूएचओ	3
➤ UN महासभा ने यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रस्ताव	4
➤ पूर्वोत्तर राज्य 2018 तक खुले में शौच से होंगे मुक्त	5
➤ आईटी सेक्टर में 2027 तक 14 लाख नई नौकरियां	5
➤ भारत में कैंसर के मामलों में 15.7% वृद्धि	6
➤ कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 'निपुण' पोर्टल लांच	7
➤ मातृत्व अवकाश में से सात हफ्ते का वेतन बापस	7
➤ फ्रांस में भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक	8
➤ वर्ष 2030 तक निमोनिया से भारत में 17 लाख बच्चों की मौत का खतरा: रिपोर्ट	8
➤ भारत के 70% युवाओं की कौशल विकास योजनाओं में गहन रुचि: रिपोर्ट	9
➤ अल नीनो	9
➤ यमन में 70 लाख बच्चे भुखमरी से प्रभावित	11
➤ बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कार्यक्रम	12
➤ समुद्र पर विश्व का सबसे लम्बा पुल: चीन	12
➤ 'मैं नहीं हम' ऐप लांच	13
➤ एशियाई हॉकी चौथीं प्रॉफी 2018	15
➤ 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण	15
➤ दिल्ली के सिंगनेचर ब्रिज पर आवाजाही आरंभ	16
➤ कन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन	18
➤ ए.आर. रहमान की जीवनी 'नोट्स ऑफ अ ड्रीम'	18
➤ रामायण एक्सप्रेस दिल्ली से आंभ	19
➤ कोमपी एक्सप्रेस-वे/बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक	20
➤ नवगठित नवाचार परिषद का उद्घाटन	22

➤ यौन उत्पीड़न पोर्टल 'शी-बॉक्स'	23
➤ मौसम विज्ञान संबंधी योजनाओं को मंजूरी	24
➤ 'सियोल शांति पुरस्कार-2018' हेतु चयनित	25
➤ सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चौथियनशिप	28

प्रश्नपत्र - 2

➤ भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद	33
➤ अमेरिका-रूस के मध्य परमाणु संधि समाप्ति की घोषणा	34
➤ नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016	35
➤ भारत-चीन के मध्य सुरक्षा सहयोग समझौता	36
➤ जी गवर्नेंस	37
➤ दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना	39
➤ निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट	39
➤ नागेश्वर राव सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त	40
➤ CBI निदेशक मामले की कार्यवाही दो सप्ताह के भीतर	41
➤ पाकिस्तान और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास	42
➤ सतत विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए संचालन समिति	43
➤ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए मंत्री समूह गठित	43
➤ चाबहार बंदरगाह परियोजना पर पहली त्रिपक्षीय बैठक	44
➤ सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 से बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर प्रतिवंध लगाया	45
➤ प्रकाश जावड़ेकर ने रिसर्च संबंधी दो पोर्टल लॉन्च	45
➤ भारत और बांग्लादेश के बीच जलमार्ग संपर्क बढ़ाने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर	46
➤ आदिल अब्दुल महदी इराक के नए प्रधानमंत्री	47
➤ जेयर बोलसोनारो ब्राजील के नये राष्ट्रपति	47
➤ पाकिस्तान सीरिया से तीन गुना ज्यादा खतरनाक: ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट	48
➤ भारत एवं जापान ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये	48
➤ श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त	49
➤ चार नये न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली	50

➤ धर्म गार्जियन-2018	50
➤ भारत-जापान ने तुरगा पनविजली समझौते पर हस्ताक्षर	51
➤ आयुर्वेद दिवस	52
➤ आईसीजीएस वाराह	52
➤ भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य समझौता	53
➤ अमेरिका ने भारत-चीन समेत आठ देशों को ईरान से तेल आयात करने की छूट दी	53
➤ भारत और इंडोनेशिया के मध्य संयुक्त नौसेनिक अभ्यास	54
➤ LEAP और ARPIT	55
➤ क्वाड देशों की तीसरी बैठक सिंगापुर में संपन्न	55
➤ भारत सरकार और एडीबी के मध्य जल एवं स्वच्छता सेवाओं हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर	56
➤ आंध्र प्रदेश ने विभाजन के चार वर्ष बाद राजकीय चिन्ह स्वीकार किया	56
➤ आरक्षण विधेयक को मंजूरी	57
➤ 'बज्र प्रहार'	57
➤ पर्यावरण बंगल ने बस्तियों के निवासियों को भूमि अधिकार देने हेतु विधेयक पारित किया	58
➤ जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग	58
➤ भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता	59
➤ करतारपुर कॉरिडोर: उपराष्ट्रपति वैकेया नायदू ने कॉरिडोर की आधारशिला रखी	60
➤ भारतीय संविधान दिवस	60
➤ सबरीमाला विवाद	61

प्रश्नपत्र - 3

➤ भारत छह साल में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार	63
➤ आरबीआई का इको-नामिक कैपिटल फ्रेंचर्क के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति	64
➤ कैंसर इलाज के लिए अब पुरानी दवाओं के गुणों की तलाशा	
➤ भारत में कच्चे तेल की कमी को दूर करना होगा संभव	65
➤ स्माँग प्रदूषण की शुरुआत	65
➤ जल कोटाणुरोधी प्रणाली 'ओनीर' विकसित	66
➤ खतरे में जल विद्युत परियोजनाएं	67
➤ भारत में 2014 से करोड़पति करदाताओं की संख्या 60 प्रतिशत बढ़ी: सीबीडीटी	67

<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन नियमन, 2018 68 ➤ पिछले तीन सालों में रेल हादसों में करीब 50 हजार लोगों की मौत : भारतीय रेलवे 68 ➤ भारत ने इजराइल के साथ की डिफेंस डील 69 ➤ ट्रेन-18, देश की पहली इंजन रहित रेल 70 ➤ 'आईडीएफसी फर्स्ट' बैंक 70 ➤ बिहार में तय समय से पहले ही राज्य में शत प्रतिशत विद्युतीकरण 71 ➤ पाकिस्तान साल 2022 में भेजेगा पहला अंतरिक्ष यात्री 71 ➤ दिल्ली में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल तथा 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध 72 ➤ एमआईटी वैज्ञानिकों ने बेहद सूक्ष्म रोबोट विकसित किया 73 ➤ वायु प्रदूषण से हर साल 6,00,000 बच्चों की मौत: डब्ल्यूएचओ 73 ➤ गुजरात में पहले मेगा पूर्ढ पार्क स्थापित 74 ➤ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की 75 ➤ नासा का पार्कर सौलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब जाने वाला अंतरिक्षयान बना 76 ➤ चीन द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाये जाने की घोषणा 77 ➤ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 77वें स्थान पर 77 ➤ अरिन-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण 79 ➤ प्रधानमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर हेतु सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया 79 ➤ 'सौरा जलनिधि' योजना 80 ➤ नासा का कैप्स्लर स्पेस टेलीस्कोप नौ साल तक ग्रहों की खोज के बाद रिटायर 80 ➤ ब्रॉड गेज मार्ग पर मानव रहित क्रॉसिंग की समाप्ति 81 ➤ भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' 81 ➤ परमाणु पनडुब्बी अरिहंत 82 ➤ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा न्यूट्रिनो प्रयोगशाला का समर्थन 82 ➤ अनरिजर्वल मोबाइल टिकटिंग सुविधा लांच 83 ➤ ऑपरेशन ग्रीन के लिए दिशा-निर्देश 84 ➤ छह हवाई अड्डों को लीज पर देने हेतु मंजूरी 84 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चीन में वर्चुअल न्यूज एंकर 85 ➤ भारतीय सेना में 30 वर्ष बाद दो तोपों को शामिल किया गया 85 ➤ सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड जारी किया 86 ➤ भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह 87 ➤ एडनॉक और आईएसपीआरएल के मध्य समझौता 88 ➤ जीसैट-29 का सफल प्रक्षेपण 89 ➤ 'ओद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली' 89 ➤ सिंगनस कार्गो एयरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा 90 ➤ 2.0 वेब पोर्टल 90 ➤ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज लॉन्च 91 ➤ आकाशगंगा में नए तारामंडल की खोज 92 ➤ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ने पूरे किए 20 साल 93 ➤ डब्ल्यूएमओ ने ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट-2018 जारी की 93 ➤ दुनिया के सबसे बड़े उभयचर विमान का पहला सफल परीक्षण 94 ➤ पर्यावरण मंत्रालय ने 'हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली' अभियान का शुभारंभ किया 95 ➤ संजय मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया 96
<hr/> प्रश्नपत्र - 4 <hr/>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ विकास की प्रक्रिया/गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका 97 ➤ गैर-सरकारी संगठन क्या है? 97 ➤ दबाव समूह 98 ➤ नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) 101 ➤ स्वयं-सहायता समूह 102 ➤ धर्मार्थ संगठन 103 	
<hr/> आईपीसीसी रिपोर्ट एवं जलवायु परिवर्तन <hr/>	
<hr/> समसामयिक मुद्दों से संबंधित लेख <hr/>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 109 ➤ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जीआईएस 114 ➤ जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रभाव 117 	

प्रारम्भिक परीक्षा: 2019

➤ वैश्विक प्रतिस्पर्द्धि सूचकांक 2018	120
➤ ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रिपोर्ट 2019	120
➤ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018	120
➤ गिर वन में एशियाई शेरों की मौत	121
➤ मूनमून-चंद्रमा का उप-चंद्रमा	121
➤ भारत में बनाग्नि प्रबंधन पर रिपोर्ट	122
➤ ग्लोबल कमिशन ऑन एडोप्टेशन की शुरूआत	122
➤ फास्ट रेडियो बर्स्ट की संख्या दोगुनी हुई	123
➤ शाही लीची, ग्रेनो पदानो, राजकोट पटोला, बोका चौल को जीआई टैग	123
➤ 1.5 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक तापवृद्धि पर आईपीसीसी रिपोर्ट 2018	123
➤ कोंकण के अल्फांसो आम मो मिला जीआई टैग	124
➤ जलवायु परिवर्तन के कारण पुर्वोरिको के वर्षा वन में 98 प्रतिशत कीटों की मृत्यु	125
➤ भारत में आर्थिक विकास की बजह से प्राकृतिक पूँजी का नुकसान	125
➤ भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश	125
➤ तितली व लुबान 'दुर्लभतम चक्रवात'	126
➤ पॉली ऑक्सिम : कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से किसानों को बचाने में मददगार	126
➤ भारत का पहला 'मेथर्नॉल खाना पकाने योग्य ईंधन कार्यक्रम' का शुभारंभ	127
➤ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह 2018	127
➤ बाघ की केवल छह प्रजातियां हैं बच्ची	127
➤ कोच्चि में देश के सबसे बड़े शुष्क गोदी की आधारशिला	128
➤ अटलांटिक के हरिकैन की दिशा निर्धारित करता है भारतीय मानसून	128
➤ भारत में संकटापन्न प्रजातियां	130
➤ हाल में शुरू किए गए मोबाइल ऐप	131

प्रश्नपत्र - 1

मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी ताजा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत 189 देशों की सूची में एक स्थान ऊपर चढ़कर अब 130वें स्थान पर पहुंच गया है।
- सूची में भारत के और ऊपर न जा सकने के पीछे मुख्य कारण बढ़ती आर्थिक और लैंगिक असमानता को बताया गया है।
- भारत में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों के स्कूलों में और ज्यादा वक्त गुजारने की समयावधि बढ़ी है।
- रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में बच्चों के स्कूल में रहने की संभावित समयावधि 6.4 वर्ष हो गई है जो 1990 में 3 वर्ष थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसी प्रकार अब जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) 68.8 साल है, जो 28 साल पहले सिर्फ 57.9 थी।
- आंकड़े बताते हैं कि भारत दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश व पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है।
- उच्चतम और निम्नतम एचडीआई वाले देशों के बीच अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, सूचकांक के शीर्ष पर स्थित नॉर्वे में आज पैदा हुए एक बच्चे की जीवन प्रत्याशा 82 वर्ष से अधिक है व उसके स्कूल में रहने का संभावित समय लगभग 18 वर्ष है, जबकि उसी समय में नाइजर में पैदा हुए बच्चे की जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष वे उसके स्कूल में रहने की संभावित समयावधि पांच वर्ष है।

जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हुई हड्पा सभ्यता : अध्ययन

मुद्दा क्या है?

- हाल ही में किये गये शोध में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था।

➤ इसे हड्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने समुद्री जीवाशम और इसके डीएनए का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि, “जलवायु परिवर्तन के प्रकोप के कारण ही हड्पा सभ्यता की समाप्ति हुई।”

शोध के प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा किये गए इस अध्ययन का शीर्षक ‘नियोग्लोशियल क्लाइमेट एनॉमलीज एंड हड्पाई मेटामॉर्फोसिस’ था।
- सिंधु घाटी के तापमान तथा मौसम के पैटर्न में बदलाव की वजह से ग्रीष्मकालीन मानसून बारिश में धीरे-धीरे कमी आने लगी जिस वजह से हड्पाई शहरों के आस-पास कृषि कार्य किया जाना मुश्किल या असंभव हो गया।
- 1800 ईसा पूर्व तक इस उन्नत सभ्यता ने अपने-अपने शहर छोड़ दिए और हिमालय के निचले हिस्से में स्थित छोटे गांवों की तरफ जाने लगे थे।
- शोधकर्ताओं ने कहा कि इसी तरह की मौसमी परेशानियों के चलते संभवतः सभ्यता का खात्मा हुआ। यह अध्ययन ‘क्लाइमेट ऑफ द पास्ट’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

अध्ययन का सार

- मौसम परिवर्तन और सूखे को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने सागर तल का अध्ययन किया।
- उन्होंने पाकिस्तान से कई स्थानों पर अरब सागर के तल से कोर नमूने एकत्र किए फिर उन्होंने जीवों के जीवाशमों की तलाश की जो वर्षा के प्रति संवेदनशील थे।
- इन फोरम्स का अध्ययन करके वे यह समझने में सक्षम हो गए थे कि सर्दी और गर्मी के लिए कौन संवेदनशील थे।
- इस प्रकार वे मौसमों की पहचान करते थे और फिर डीएनए प्रमाण सामने आए।
- जीवाशम के संयोजन और समुद्री डीएनए का उपयोग करके शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम हुए कि सर्दियों के दौरान मानसून लगातार बढ़ते हैं और गर्मियों के दौरान घटते हैं। अंततः गर्मियों में पूरी तरह सूखा पड़ता था।
- इन परिणामों के साथ वे घटती जनसंख्या और शहरों से गांवों के लोगों के आने-जाने का पता लगाने में भी सक्षम हुए।

सिंधु घाटी सभ्यता

- सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसापूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है।
- यह हड्पा सभ्यता और 'सिंधु-सरस्वती सभ्यता' के नाम से भी जानी जाती है।
- इसका विकास सिंधु और हकड़ा (प्राचीन सरस्वती) के किनारे हुआ।
- मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड्पा इसके प्रमुख केन्द्र थे।
- दिसंबर 2014 में भिर्दाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है।
- हड्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवी-देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
- ये मूर्तियां मातृदेवी या प्रकृति देवी की हैं। यहां हुई खुदाई से प्राचीनकाल में सभ्यता की स्थिति का पता चलता है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

समाचारों में क्यों?

- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 19 नवम्बर 2018 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।



- पूर्व प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार (2017 के लिए) प्रदान किया।
- यह पुरस्कार इंदिरा गांधी स्मृति न्यास द्वारा 'शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास' के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, समूहों एवं संस्थाओं को दिया जाता है।

- यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री को समाजसेवा, निरस्त्रीकरण व विकास के कार्य में अहम योगदान देने के लिए दिया गया।
- मनमोहन सिंह को वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास और विश्व में भारत की साख को बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
- इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर भी मौजूद रहे।
- पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली जूरी ने मनमोहन सिंह को इस पुरस्कार के लिए चुना।
- जूरी ने विश्व में भारत के स्तर पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया।

मनमोहन सिंह के बारे में:

- मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत (वर्तमान पाकिस्तान) के पंजाब प्रान्त में 26 सितम्बर 1932 को हुआ था।
- मनमोहन सिंह भारत के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पीएम के रूप में अपने दो कार्यकाल पूरे किए। मनमोहन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं।
- मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे।
- पी. वी. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में वह वित्त मंत्री भी बने। मनमोहन सिंह दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

- इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है।
- इंदिरा गांधी को वर्ष 1984 में हत्या कर दी गई थी। उनकी स्मृति में स्थापित 'इंदिरा गांधी मेमोरिल ट्रस्ट' द्वारा वर्ष 1986 से 'इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार' प्रति वर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार कई विदेशी हस्तियों को भी दिया गया है और कई संगठन भी इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
- इन हस्तियों में मिखाईल गोर्बाचेव, यूनिसेफ, जिमी कार्टर, शेख हसीना, एंजेला मार्केल आदि शामिल हैं।
- इससे पहले संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ के साथ दुनिया की कई जानीमानी हस्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है।



प्रश्नपत्र - 2

United Nations

भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद

मुद्दा क्या है?

- केन्द्रीय मर्मिंडल ने 22 नवंबर 2018 को सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं सेवाओं के नियमन और मानकीकरण के लिए सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक 2018 को मंजूरी दी है।
- यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई।
- इस विधेयक में एक भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद और संबंधित राज्य सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशों के लिए एक मानक निर्धारक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएंगी।

मुख्य तथ्य:

- केन्द्रीय एवं संबंधित राज्य सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों में सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विषयों में 53 पेशों सहित 15 प्रमुख प्रोफेशनल श्रेणियां होंगी।
- विधेयक में केन्द्रीय परिषद और राज्य परिषदों की संरचना, गठन, स्वरूप एवं कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जैसे कि नीतियां एवं मानक तैयार करना, प्रोफेशनल आचरण का नियमन, लाइव रजिस्टरों का सृजन एवं रखरखाव, कॉमन एंट्री एवं एकिट परीक्षाओं के लिए प्रावधान इत्यादि।
- केन्द्रीय एवं राज्य परिषदों के अधीनस्थ प्रोफेशनल सलाहकार निकाय विभिन्न मुद्दों पर स्वतंत्र ढंग से गैर करेंगे और विशिष्ट मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित सिफारिशों पेश करेंगे।
- इस विधेयक को दायरे में आने वाले किसी भी पेशे से जुड़े किसी भी अन्य मौजूदा कानून से ऊपर माना जाएगा।
- राज्य परिषद सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को मान्यता देने का कार्य करेगी।
- कदाचार की रोकथाम के लिए विधेयक में अपराधों एवं जुर्माने से जुड़े अनुच्छेद को शामिल किया गया है।
- नियम-कायदे बनाने और कोई अनुसूची जोड़ने अथवा किसी अनुसूची में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को भी परिषद को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
- विधेयक के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकारों को भी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
- अधिनियम पारित होने के 6 माह के भीतर एक अंतरिम

परिषद का गठन किया जाएगा, जो केन्द्रीय परिषद का गठन होने तक दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभार संभालेगी।

- केन्द्र एवं राज्यों में परिषद का गठन कॉर्पोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा जिसके तहत विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने का प्रावधान होगा।
- आवश्यकता पड़ने पर परिषदों की सहायता क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भी अनुदान सहायता के जरिए की जाएगी। हालांकि, यदि राज्य सरकार असमर्थता जताती है तो वैसी स्थिति में केन्द्र सरकार आरंभिक वर्षों के लिए राज्य परिषद को कुछ अनुदान जारी कर सकती है।

परिषद संरचना:

केन्द्रीय परिषद:

- केन्द्रीय परिषद में 47 सदस्य होंगे जिनमें से 14 सदस्य पदेन होंगे, जो विविध एवं संबंधित भूमिकाओं और कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि शेष 33 सदस्य गैर-पदेन होंगे जो मुख्यतः 15 प्रोफेशनल श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

राज्य परिषद:

- राज्य परिषदों की परिकल्पना केन्द्रीय परिषद को प्रतिबिंबित करने के रूप में भी की गई है, जिसमें 7 पदेन सदस्य और 21 गैर-पदेन सदस्य होंगे। गैर-पदेन सदस्यों में से ही इसके अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।

व्यय:

- प्रथम चार वर्षों में कुल लागत 95 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।
- कुल बजट का लगभग 80 प्रतिशत (अर्थात् 75 करोड़ रुपये) राज्यों के लिए निर्धारित किया जा रहा है, जबकि शेष राशि के जरिए 4 वर्षों तक केन्द्रीय परिषद के परिचालन के साथ-साथ केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय रजिस्टरों को तैयार करने में सहयोग दिया जाएगा।

स्वास्थ्य प्रणाली में अहम योगदान:

- यह अनुमान लगाया गया है कि सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 से देश में सीधे तौर पर लगभग 8-9 लाख मौजूदा सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रोफेशनल और हर वर्ष कार्यबल में बड़ी संख्या में शामिल होने वाले एवं स्वास्थ्य प्रणाली में अहम योगदान देने वाले अन्य स्नातक प्रोफेशनल लाभान्वित होंगे।

उद्देश्य:

- इस विधेयक का उद्देश्य मुहैया कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक से देश की पूरी आबादी और समग्र रूप से समूचा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र लाभान्वित होगा।

रोजगार सृजन:

- परिषद के गठन से सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यबल के प्रोफेशनल रुख का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योग्य, अत्यंत कुशल और उपयुक्त रोजगारों को सृजित करने का अवसर मिलेगा।
- आयुष्मान भारत के विजन अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली विविध स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो पाएंगी, जिससे 'डॉक्टर आधारित' मॉडल के बजाय 'सुगम्य सेवा एवं टीम आधारित' मॉडल की ओर अग्रसर होना संभव हो पाएगा।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में ऐसे अनेक सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल कार्यरत हैं, जो अब तक न तो चिन्हित एवं विनियमित किए गए हैं और न ही जिनका अब तक अपेक्षा के अनुरूप इस्तेमाल किया जा रहा है।
- सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल (एएंडएचपी) असल में स्वास्थ्य मानव संसाधन नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा हैं और कुशल एवं दक्ष सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की लागत कम करने एवं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में अत्यंत मददगार साबित हो सकते हैं।
- वैश्विक स्तर पर सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल आरंभ में आम तौर पर न्यूनतम 3-4 वर्षों के स्नातक पूर्व डिग्री पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं और वे अपने-अपने विषयों में पीएचडी स्तर की योग्यता हासिल कर सकते हैं।
- विश्व भर में ज्यादातर देशों में एक वैधानिक लाइसेंसिंग अथवा नियामकीय निकाय होता है, जो इस तरह के प्रोफेशनलों, विशेष कर सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल करने वालों अथवा मरीजों की देखभाल को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले पेशों से जुड़े लोगों की योग्यताओं एवं सक्षमताओं को लाइसेंस देने एवं प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होता है।

अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु संधि समाप्त करने की घोषणा**समाचारों में क्यों?**

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अक्टूबर 2018 को यह घोषणा की है कि अमेरिका रूस के साथ दशकों पुरानी

इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (आईएनएफ) संधि से अलग हो जायेगा।

- डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से यह बात नेवादा में होने वाली एक रैली के लिए निकलने से पहले की। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस संधि का उल्लंघन कर रहा है।
- इस संधि के तहत एक खास श्रेणी के परमाणु हथियारों को समाप्त करने की व्यवस्था है।

प्रमुख तथ्य

- यह संधि अमेरिका और यूरोप और सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है।
- यह संधि अमेरिका और रूस को 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली जमीन से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती है।
- इसमें सभी जमीन आधारित मिसाइलों शामिल हैं।
- मध्यम दूरी परमाणु शक्ति (आईएनएफ) संधि की अवधि अगले दो साल में खत्म होनी है।
- रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के साथ ऐतिहासिक परमाणु संधि से अलग होने का अमेरिका का कदम अकेले वैश्विक महाशक्ति बनने के सपने से प्रेरित है।

संधि का महत्व

- तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिका के रोनाल्ड रीगन द्वारा 1987 में हस्ताक्षरित यह संधि 483 किलोमीटर और 5,472 किलोमीटर के बीच की दूरी और जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों के निर्माण, तैनाती और परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है।
- नाटो मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि आईएनएफ समझौता “यूरो-अटलांटिक सुरक्षा के लिए अहम है और हम इस ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण संधि की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।” साथ ही उन्होंने रूस से अपनी नई मिसाइलों की क्षमताओं को लेकर स्पष्ट करने का आग्रह किया।

संधि से अलग होने का कारण

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक दूसरे देश इसका उल्लंघन करते रहेंगे तब तक अमेरिका इस समझौते का पालन नहीं करेगा।
- इस बीच, रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के साथ ऐतिहासिक परमाणु संधि से अलग होने का अमेरिका का कदम अकेले वैश्विक महाशक्ति बनने के सपने से प्रेरित है।
- ट्रंप ने कहा कि जब तक रूस और चीन हमारे पास नहीं आते और यह नहीं कहते कि उन हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमें उन हथियारों को बनाना होगा। अगर रूस



प्र०३ प्र०४ प्र०५ प्र०६

भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा: IATA रिपोर्ट

समाचारों में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जायेगा। वर्तमान में भारत वैश्विक विमानन बाजार में सातवें स्थान पर है। IATA की 24 अक्टूबर 2018 को जारी अगले 20 वर्ष के पूर्वानुमान रिपोर्ट में यह बात कही गयी है।

IATA रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य

- भारत 2020 तक जर्मनी और जापान को तथा 2023 तक स्पेन को पीछे छोड़ देगा।
- इसके बाद वर्ष 2024 के अंत तक वह ब्रिटेन को पछाड़ कर तीसरे स्थान पर पहुँच जायेगा।
- भारत में वर्तमान में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 18.28% की दर से वृद्धि हो रही है, यह संख्या वर्ष 2018-19 में 243 मिलियन तथा वर्ष 2020 में 293 मिलियन तक पहुँच जाएगी।
- रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष दो स्थानों पर अमेरिका और चीन कायम रहेंगे लेकिन अगले दशक के मध्य तक अमेरिका को पछाड़कर चीन पहले स्थान पर होगा। इसमें वर्ष 2037 तक पहले तीन स्थान पर क्रमशः चीन, अमेरिका और भारत के बने रहने की बात कही गयी है, बशर्ते सरकारों की विमानन नीतियों में कोई खास बदलाव न हो।
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई ट्रैफिक में वर्ष 2018 में 10.43% की वृद्धि हुई और यात्रियों की संख्या 65 मिलियन पहुँच गयी, वर्ष 2020 तक यह आंकड़ा 76 मिलियन तक पहुँच जायेगा।
- हवाई ट्रैफिक में अगले 20 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में होगी। हवाई यात्रियों की संख्या अगले 20 वर्षों में लगभग दोगुनी हो जाएगी।

वैश्विक विमानन बाजार में पहले स्थान पर:

- वैश्विक विमानन बाजार में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन तीसरे स्थान पर, स्पेन चौथे स्थान पर, जापान पांचवें स्थान पर और जर्मनी छठे स्थान पर है।

नागर विमानन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार:

- नागर विमानन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रियों की संख्या सितम्बर 2014 से सितम्बर 2018 तक लगातार बढ़ी है।
- वर्ष 2014 में जहां कुल छह करोड़ 73 लाख 83 हजार यात्रियों ने उड़ान भरी थी, वहीं इस साल जनवरी से सितम्बर के बीच ही उनकी संख्या 10 करोड़ 27 लाख 93 हजार पर पहुँच गयी है।
- इस वर्ष सालाना वृद्धि दर 20.94 प्रतिशत रही है।

हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी:

- आईएटीए के अनुसार वर्ष 2017 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2037 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या सालाना संख्या 57 करोड़ 20 लाख पर पहुँच जाएगी। इनमें 41 करोड़ 40 लाख नए यात्री शामिल होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए):

- यह अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के लिए एक व्यापार संघ है।
- अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 120 देशों के 280 अनसूचित अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स का एक समूह है।
- आईएटीए की स्थापना वर्ष 1945 में की गयी थी। IATA का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है।
- यह संगठन हवाई यात्रा क्षेत्र से सम्बंधित नीति तथा मानक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसके अतिरिक्त यह संगठन कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्य कार्य अन्तर-वायु कंपनी मामलों में सहयोग स्थापित करना है।
- इसके अलावा इसका काम लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सुरक्षित, निश्चित, विश्वसनीय तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य वायु सेवाएं सुनिश्चित करना है।
- यह एयर-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के साथ ही एयर-कॉमर्स की सभी समस्याओं का अध्ययन करने का काम भी करती है।

रोजगार का अवसर:

- वर्ष 2037 तक दुनिया भर में हवाई यात्रियों की संख्या 10 अरब 30 करोड़ पर पहुँच जाएगी।

- वैश्विक विमानन बाजार 76 खरब डॉलर का होगा और इस क्षेत्र में 11 करोड़ 90 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति

समाचारों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केन्द्रीय निदेशक मंडल की केंद्र सरकार के साथ बैठक में केन्द्रीय बैंक के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया गया है।
- करीब नौ घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में आरबीआई बोर्ड ने बेसल फ्रेमवर्क सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जोखिम में फंसे ऋण पुनर्गठन और प्रॉप्ट करेक्टिव एक्शन के तहत बैंकों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई।
- बैठक के बाद आरबीआई की ओर से जारी जानकारी में कहा गया कि निदेशक मंडल में इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने, समिति के सदस्यों और समिति के कार्य क्षेत्र पर सरकार तथा आरबीआई दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है।

रिजर्व बैंक का फैसला

- आरबीआई प्रॉप्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क के प्रावधानों में कुछ संशोधन करने पर सहमत हुआ है ताकि कुछ सरकारी बैंकों को इसके दायरे से बाहर निकाला जा सके। वर्तमान समय में 11 सरकारी बैंक पीसीए के दायरे में हैं। इसके लिए अलग से समिति गठित नहीं होगी बल्कि आरबीआई की वित्तीय निगरानी से जुड़ा एक बोर्ड इस बारे में विचार करेगा।
- पीसीए क्या होता है:** जब किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूँजी नहीं होती तथा आय या मुनाफा नहीं हो रहा या एनपीए बढ़ रहा है तो उस बैंक को पीसीए श्रेणी में डाल दिया जाता है।
- पीसीए में शामिल बैंक नए कर्ज नहीं दे सकते और नई ब्रांच नहीं खोल सकते।

प्रमुख तथ्य :

- रिजर्व बैंक का पूँजी आधार इस समय 9.69 लाख करोड़ रुपए है। रिजर्व बैंक के स्वतंत्र निदेशक और स्वदेशी विचार एस गुरुमूर्ति तथा वित्त मंत्रालय चाहता है कि इस कोष को वैश्विक मानकों के अनुरूप कर किया जाना चाहिए।
- बैठक में जिस विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया गया है वह इस कोष के उचित स्तर के बारे में अपनी सिफारिश देगी।

- बैठक में बोर्ड ने आरबीआई को एमएसएमई के जोखिम में फंसे संस्थानों के पुनर्गठन स्कीम पर भी विचार करने के लिए कहा है।
- इसके तहत आरबीआई सिर्फ 25 करोड़ रुपए के ऋण पर भी विचार करेगा।
- बयान में कहा गया है कि प्रॉप्ट करेक्टिव एक्शन के तहत आए बैंकों के मामले का केन्द्रीय बैंक का फाइनेंशियल सुपर विजन बोर्ड परीक्षण करेगा।
- गौरतलब है कि आरबीआई बोर्ड में कुल 18 सदस्य हैं जिनमें उर्जित पटेल के अतिरिक्त उनके चार डिप्टी गवर्नर भी शामिल हैं।
- उर्जित पटेल के अलावा किसी भी डिप्टी गवर्नर को मतदान करने का अधिकार नहीं है।
- बोर्ड में दो सरकारी अधिकारी और सरकार द्वारा मनोनीत सात स्वतंत्र निदेशक हैं।

कैंसर इलाज के लिए अब पुरानी दवाओं के गुणों की तलाश

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका के माउंट सिनाइ में स्थित आईकोन स्कूल ऑफ मेडिसिन में भारतीय मूल के वैज्ञानिक मोने जैदी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि ऑस्टियोरोसिस के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के एक समूह “बिस्फोस्फोनेट्स” का उपयोग फेफड़े, स्तन और पेट के कैंसर (कोलन) के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- कैंसर के इलाज के लिए नई दवाओं की तलाश में, वैज्ञानिक पुरानी दवाओं के गुणों को भी तलाश कर रहे हैं और उनके पुनः उपयोग की कोशिश कर रहे हैं।
- कई अध्ययनों में पहले भी दिखाया गया था कि दवाओं के इस समूह से कुछ रोगियों में कैंसर के ट्यूमर की गति धीमी हो गई थी लेकिन कुछ पर इस इसका प्रभाव नहीं पड़ा था।
- एक विशेषज्ञ टीम ने यह पता लगाया कि “बिस्फोस्फोनेट्स” कैंसर ने उन असामान्य विकास संकेतों को अवरोधित कर देता है जो प्रोटीन के एक प्रकार “ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स” के माध्यम से फैलते हैं।
- “बिस्फोस्फोनेट्स” इन कैंसरों के फैलने की क्षमता को रोकने में मदद कर सकता है।
- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कैंसर अन्य की तुलना में बहुत तेजी से फैलते हैं। “बिस्फोस्फोनेट्स” को पहले ही



विकास की प्रक्रिया एवं गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

परिचय

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ गैर-सरकारी संगठन क्या है? ➤ गैर-सरकारी संगठन के प्रकार ➤ भारत में गैर-सरकारी संगठन ➤ दबाव समूह (Pressure Group) ➤ श्रमिक दबाव समूह ➤ किसान दबाव समूह ➤ जाति आधारित दबाव समूह | <ul style="list-style-type: none"> ➤ छात्र दबाव समूह ➤ भारत में दबाव समूह की विशेषताएं ➤ नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) ➤ स्वयं सहायता समूह (SHGs) ➤ धर्मार्थ संगठन ➤ चैरिटेबल संगठनों का विनियमन |
|--|--|

गैर-सरकारी संगठन क्या है?

- गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) साधारणत वह संगठन होते हैं जो सरकार के द्वारा नहीं वरन् निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के द्वारा गठित होते हैं और जिनका उद्देश्य धनार्जन नहीं करके लोगों के कष्टों का निवारण, गरीबों के अधिकारों को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास व आधारभूत सामाजिक सेवाओं से जुड़े कार्यों का संचालन करना होता है।
- सैद्धांतिक तौर पर गैर-सरकारी संगठन किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होते। ये संगठन प्रायः अपनी कार्यप्रणाली व संघटन में लोकशील होते हैं, लोकतांत्रिक आधार पर गठित होते हैं और बिना धन लाभ कमाए लक्षित समूहों की सेवा करने का प्रयास करते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों के प्रकार

- कार्यप्रणाली एवं कार्य के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों के निम्नांकित प्रकार हो सकते हैं-
- राहत एवं कल्याणकारी अभिकरण यथा मिशनरी सोसायटी। तकनीकी नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले संगठन - ये ऐसे संगठन, होते हैं जो स्वयं अपने प्रोजेक्ट को संचालित करते हैं और उनमें नए एवं उन्नत तरीकों का प्रयोग कर किसी सरकारी संस्था जो स्व-सहायता, सामाजिक विकास व वृण्डमूल स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास का प्रयास करते हैं।
- जन सेवा कॉन्ट्रैक्टर : इस तरह के गैर-सरकारी संगठन प्रायः विकसित देशों के द्वारा प्रायोजित होते हैं जो विकासशील देशों की सरकारों व सरकारी सहायता प्राप्त अभिकरणों के साथ जुड़कर कार्य करते हैं।

- इन संगठनों के साथ सरकारी कार्यक्रमों के कुछ हिस्सों के क्रियान्वयन की संविदा (Contract) किया जाता है क्योंकि ये पर्याप्त लोकशील व तकनीकी रूप से दक्ष होते हैं।
- एडवोकेसी समूह व नेटवर्क : ये ऐसे संगठन होते हैं जिनकी कोई क्षेत्रीय परियोजनाएं नहीं होता। बल्कि ये शिक्षा प्रसार, जागरूकता प्रसार व लॉबिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।

भूमिका

1. गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन नागरिकों व सरकार के बीच एक सेतु का निर्माण करते हैं।
2. गैर-सरकारी संगठन सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में PPP को बढ़ावा देते हैं।
3. सिविल सेवक सामाजिक कल्याण के कार्यों में विशेषज्ञ नहीं होते इसलिये NGO सामाजिक कल्याण के कार्यों में विशेषज्ञ प्रदान करते हैं।
4. NGO के द्वारा देश के विकास में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाता है और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लोगों की सहभागिता के अभाव में फेल हो गया।
5. इसके द्वारा स्थानीय समस्याओं का स्थानीय तरीके से समाधान किया जाता है।
6. सरकार की कार्य प्रणाली में औपचारिकतायें व प्रक्रियायें अत्यधिक जटिल होती है। जबकि NGO प्रक्रियाओं की बजाय कार्य पर बल देते हैं। व इनकी कार्यशैली लचीली व अत्यधिक उत्तरदायी होती है।
7. विकास में NGO का महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये वर्ष 2013 में एक नया कम्पनी अधिनियम निर्मित किया गया है जो 1956 के कम्पनी अधिनियम का स्थान लेगा।

और इसके अनुसार जिन कम्पनियों का उत्पादन 500 करोड़ से ज्यादा है उन्हें अपने लाभ का 2% भाग NGO को सामाजिक क्षेत्रों हेतु देना पड़ेगा।

भारत में गैर-सरकारी संगठन

- छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान सरकार ने कुछ क्षेत्र भी चिह्नित किए जहां गैर-सरकारी संगठनों को विकास एवं परिवर्तन के वाहक की भूमिका दी गई। ये क्षेत्र थे-
 1. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास एवं उनका इष्टतम उपयोग। इसमें प्रखण्ड स्तर पर ही वानिकी सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास करना शामिल था।
 2. परिवार कल्याण, सभी के लिए स्वास्थ्य और पोषण और संबंधी सामुदायिक कार्यक्रम।
 3. सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम।
 4. जल प्रबंधन एवं मृदा संरक्षण।
 5. समाज के कमज़ोर तबकों के लिए विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रम।
 6. आपदा प्रबंधन।
 7. पर्यावरणीय संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय विकास एवं इससे जुड़ी शिक्षा का प्रचार-प्रसार।
- सरकार की कई महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, निर्मल ग्राम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना आदि गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों व कार्यप्रणाली से प्रभावित रही है।
- गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका भारत में सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत, पुनर्वास जैसे मुद्दों से ही नहीं जुड़ी हुई है वरन् इन संगठनों ने विभिन्न विधानों एवं सरकारी नीतियों में बदलाव को भी आवश्यक एवं सम्भव बनाया है।
- सूचना का अधिकार, बाल न्याय प्रणाली में सुधार, विद्यालयों में भौतिक दंड की समाप्ति, न्यू जीवन व पर्यावरण संरक्षण, महिला व वृद्धों की स्थिति में सुधार, अन्यथा सक्षम लोगों के अधिकार, विस्थापितों को राहत व पुनर्वास व अन्य अधिकार, प्रशासनिक जनोन्मुखता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना और अन्य अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां गैर-सरकारी संगठन पथ प्रदर्शक रहे हैं।

गैर-सरकारी संगठन: आलोचनात्मक मूल्यांकन

- गैर-सरकारी संगठनों की एक आलोचना यह भी की जाती है कि इनमें आपसी समन्वय का अभाव होता है जिसके कारण विभिन्न संगठनों में समानान्तर और कभी-कभी विरोधाभासी प्रोजेक्ट संचालित होने लगते हैं।

- गैर-सरकारी संगठनों के विषय में एक आरोप यह भी लगता है कि ये संगठन विशिष्ट गुटों व पश्चिमी देशों के इशारों पर काम करते हैं। इस आरोप का आधार यह है कि विभिन्न देशों में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के गैर-सरकारी संगठनों की व्यापक फॉर्डिंग विशेषों से होती है।
- गैर-सरकारी संगठनों में कुप्रबंधन की समस्या की देखने को मिलती है जिसके कारण कुछ देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि से जुड़ी व्यवस्थाएं भी चमत्कार लगती हैं। जहां तक भारत में गैर-सरकारी संगठनों का प्रश्न है, सम्प्रति लगभग 20 लाख ऐसे संगठन कार्यरत हैं।

दबाव समूह

- वे समूह जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इनका उद्देश्य कभी भी राजनीतिक हितों की पूर्ति करना नहीं होता है। ये कभी भी सरकार में सम्मिलित नहीं होते हैं। व्यक्तिगत रूप के बजाए सामूहिक रूप में हम अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर बेहतर एवं प्रभावी रूप में दबाव डाल सकते हैं।

दबाव समूह का आशय

- दबाव समूह और राजनीतिक दल के बिना हम भारतीय लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को नहीं समझ सकते क्योंकि समाज में विभिन्न समूहों के हित भिन्न-भिन्न या अलग-अलग होते हैं और व्यक्ति इन्हीं समूहों के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करता है। दबाव समूह राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, अपितु इनका मूल उद्देश्य शासन और सत्ता को प्रभावित करना होता है।

भारत में दबाव समूहों की विशेषता निम्नलिखित है-

1. भारत में दबाव समूहों का विकास मंद गति से हुआ है और जो दबाव समूह हैं वे अत्यन्त कमज़ोर हैं।
2. दबाव समूह के अशक्त होने के कारण प्रशासन तक उनकी पहुंच नहीं है और वे स्वयं को प्रशासन से अलग ही रखना चाहते हैं और वे सरकार को शोषणकारी रूप में देखते हैं।
3. अतः दबाव समूहों के अनुसार सरकारी पदाधिकारी अनुत्तरदायी तथा भ्रष्ट हैं जबकि सरकारी पदाधिकारी दबाव समूहों को शंका की दृष्टि से देखते हैं।
4. भारत में औद्योगिक हित और व्यापारिक हित दोनों का प्रतिनिधित्व एक ही समूह द्वारा किया जाता है।
5. भारत के व्यापारिक दबाव समूहों में ब्रिटेन के समूहों की भाँति एकता नहीं पाई जाती। लगभग प्रत्येक बड़े व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रों में अनेक चैम्पर्स हैं और अनेक समूहों के होने का मूल कारण देशी और

खाद्याभियक्त युद्धों से दर्दांधित लोक

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

संदर्भ :

अधिकांश कृषि उत्पादों को उनके मूल रूप में उपभोग नहीं किया जा सकता। उपभोग योग्य बनाने के लिए उनका प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे कि गेहूँ को आटा में बदला जाता है, धान को चावल में, गन्ना को चीनी, इथेनॉल इत्यादि में। इन उत्पादों को उप-उत्पाद बनाने के लिए फिर आगे प्रसंस्कृत किया जाता है जैसे कि आटा को ब्रेड बनाने में।

इसके अतिरिक्त फसल कटाई के पश्चात बचे अवशेषों को भी उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर, जिसे सनराइज उद्योग भी कहा जाता है, में शामिल हैं, फल एवं सब्जियां, मसाले, मांस व पॉल्ट्री, दूध एवं दुध उत्पाद, अल्कोहलिक पेय, मत्स्ययन, अनाज प्रसंस्करण तथा चॉकलेट, कोकोआ उत्पाद, सोया आधारित उत्पाद, मिनरल वाटर, उच्च प्रोटीन खाद्य जैसे उपभोक्ता उत्पाद समूह।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2013-14) के अनुसार भारत में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या 37,445 है। इनमें सर्वाधिक इकाइयां आंध्र प्रदेश में जहां कुल इकाइयों का 15.33 प्रतिशत है।



इसके पश्चात तमिलनाडु (13.90 प्रतिशत), तेलंगाना (10.28 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.12 प्रतिशत) और पंजाब (7.44 प्रतिशत) का स्थान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रमुख रोजगार सघन क्षेत्र है जिसका 2013-14 में सभी पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में सृजित रोजगार में 11.69 प्रतिशत हिस्सा था, इसके बाद वस्त्रोदयोग और परिधान क्षेत्र का स्थान है।

भारतीय उद्योग संगठन 'एसोसिएम' की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर वर्ष 2024 तक 33 अरब डॉलर निवेश आकर्षित रखने की क्षमता रखता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संबद्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार 2010-11 से 2016-17 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 6492.19 मिलियन डॉलर का इक्विटी प्रवाह रहा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वचालित माध्यम (ऑटोमैटिक रूट) के जरिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, बशर्ते लागू कानूनों/नियमों/सुरक्षा स्थितियों का उल्लंघन न होता हो।

खाद्य प्रसंस्करण में शामिल हैं	
(i)	विनिर्मित प्रक्रियाएँ : यदि कृषि, पशुपालन या मछली के किसी कच्चे उत्पाद को प्रसंस्करण द्वारा (कर्मचारी, विद्युत, मशीनों या धनराशि को शामिल करते हुए) इस प्रकार रूपांतरित किया जाता है कि इसके मूल भौतिक गुणों में बदलाव आ जाता है और यदि रूपांतरित उत्पाद खाने योग्य हो और इसका वाणिज्यिक महत्व हो तो यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में आता है
(ii)	अन्य मूल्यवर्द्धन प्रक्रियाएँ : यदि उल्लेखनीय मूल्यवर्द्धन (अभिवृद्धि शेल्फ लाइफ, शेल युक्त और उपभोग के लिए तैयार आदि) हो तो ऐसी उपज भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आती है, चाहे इसमें कोई विनिर्माण प्रक्रियाएँ भले ही शामिल न हो। विश्लेषणात्मक डूट्टिकोण से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रसंस्करण के अलग-अलग स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में देखा जा सकता है।

प्राथमिक प्रसंस्करण कच्ची कृषि उपज, दूध, मांस और मछलियों को ऐसे मद के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसमें सफाई, ग्रेंडिंग, छंटाई, पैकिंग आदि जैसे चरण शामिल हैं।

द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आम तौर पर प्रसंस्करण के उच्च स्तर शामिल किए जाते हैं वहां तृतीय स्तर पर नए या अधिक मूल्य के खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण

भारत में खाद्य प्रसंस्करण का टर्नओवर 140 अरब डॉलर से अधिक का है। वित्तीय वर्ष 2011-16 के दौरान भारत से प्रसंस्कृत खाद्य एवं संबंधित उत्पादों ने 11.74 प्रतिशत की सीजीएआर वृद्धि हासिल की और यह 16.2 अरब डॉलर पहुँच गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में बड़े उद्योगों में शामिल हैं तथा इसके उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात में विश्व में पाँचवें स्थान पर हैं।

➤ केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2014-15 के दौरान पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा 368,43,371 लाख रुपये का पूँजी निवेश किया गया है। सर्वाधिक निवेश महाराष्ट्र में किया गया।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति

➤ चीन के पश्चात भारत विश्व में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

➤ इसके बावजूद यहां केवल 2.2 प्रतिशत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण ही किया जाता है। अत्यधिक उत्पादन के बावजूद पर्याप्त आधारिक संरचनाओं यथा-पैकेजिंग केन्द्रों, भंडारण, परिवहन, शीत शृंखलाओं के अभाव तथा निम्न स्तरीय प्रसंस्करण के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं।

➤ केन्द्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार फसल कटाई के उपरांत भारत में बड़े कृषि उत्पादों का 92,651 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जो कि 2014 के थोक मूल्य पर 2012-13 के उत्पादन अनुमान पर आधारित है।

➤ एक अनुमान के अनुसार भारत में केवल 10 प्रतिशत खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, वहीं अमेरिका में 80 प्रतिशत, फ्रांस में 70 प्रतिशत, थाईलैंड में 30 प्रतिशत तथा आस्ट्रेलिया में 25 प्रतिशत खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है। स्पष्ट है कि हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति सही नहीं है, परंतु यहां इसके अवसर भी बहुत है।

➤ भारत में प्रत्येक खाद्य उत्पादन केन्द्र पर सस्ते शीत भंडार और शीत शृंखलाओं की आवश्यकता है।

➤ मौजूदा शीत भंडार सुविधा कुछ राज्यों में ही केन्द्रित है और मोटे तौर पर 80 से 90 प्रतिशत शीत भंडारों का आलू के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विनिर्माण एवं कृषि जीडीपी में खाद्य प्रसंस्करण का योगदान क्रमशः 9 प्रतिशत व 11 प्रतिशत है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या 2010-11 के 35,838 से बढ़कर 2014-15 में 38,603 हो गई है।
- कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत सभी विनिर्माण कारखानों में सृजित कुल नियोजन का 12.77 प्रतिशत खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग में सृजित होता है।
- भारत के कुल नियांत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान 13 प्रतिशत है।
- कुल औद्योगिक निवेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान 6 प्रतिशत है।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में यह 13वें स्थान पर है।

चुनौतियां एवं आशंकाएं

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं -

- किसानों को उत्पादन का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है और भारत में प्रसंस्करण केन्द्रों का अभाव है जिसके कारण खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है।
- भारत में आपूर्ति शृंखला, जो कि शीत गृह प्रणालियां हैं, की कमी है। पूरे देश में आवश्यक जगहों पर शीत गृहों का अभाव है जिस कारण खाद्य उत्पादों के लिए कामचलाऊ आपूर्ति शृंखला प्रणाली की स्थापना असंभव है।
- शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को भी ढोने के लिए परंपरागत वाहनों का ही उपयोग किया जाता है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में असंगठित क्षेत्र का अत्यधिक संकेन्द्रण है। इसका मतलब यह है कि उत्पादन प्रणाली में अकुशलता अधिक है।
- उत्पादन एवं प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त संबंध है। इसका मतलब यह है कि प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कमी है।
- प्रसंस्करण इकाइयों का मौसमी संचालन तथा क्षमता का निम्न उपयोग होता है।
- गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानदंडों पर कम बल दिया जाता है।
- उत्पाद विकास एवं इनोवेशन पर कम बल दिया जाता है।
- आपूर्ति शृंखला संस्थागत अंतर्गत का होना भी एक बड़ी समस्या है। अर्थात खरीद के लिए एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार आयोग) बाजार पर निर्भरता है।
- वैश्विक बाजार से भारी प्रतिस्पर्द्धा का भी सामना करना पड़ रहा है।
- खाद्य उत्पादन एवं खाद्य उत्पादों के मामले में निरंतर परिवर्तित होते अंतर्राष्ट्रीय नियम भी बड़ी चुनौती हैं।
- एंटी डॉपिंग जैसे व्यापार प्रशुल्क का भी समय-समय पर सामना करना पड़ता है।
- कच्चे माल एवं मशीरनरी स्थापना के लिए पर्याप्त जमीन की अनुपलब्धता का सामना भी खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग को करना पड़ता है।
- एक साथ कई विनियामक प्रणालियों की मौजूदगी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में बाधक सिद्ध होती रही है। उदाहरण के तौर पर जैम एवं स्कॉवैश जैसे पैकेज फूड को कई तरह की क्वालिटी कंट्रोल एवं लेबर घोषणाओं से गुजरना पड़ता है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण का भविष्य व अवसर

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के पक्ष में कुछ कारक हैं, जो निम्नलिखित हैं -

- 1.2 अरब की आबादी वाले भारत में उपभोक्ता आधार विशाल है जो कि भारत को खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों वाला एक बड़ा बाजार भी बनाता है। चूंकि भारत के उपभोक्ता अब अधिक स्वास्थ्य सजग हो गए हैं ऐसे में उसी अनुपात में पोषक तत्वों वाले भोजन की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है।
- कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या के अलावा छोटे होते परिवार ने भी बना-बनाया एवं फ्रोजेन खाने की मांग बढ़ाई है।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सहारा देने के लिए कच्चे माल की पर्याप्तता है।
- वैश्विक बाजार के खुलने से भी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल रहा है।
- सिंगापुर, मध्य-पूर्व, थाईलैंड, यूरोप, कोरिया एवं मलेशिया जैसे खाद्य आयातक देशों से भारत की भौगोलिक निकटता भी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बेहतर भविष्य प्रदान करता है।
- बढ़ता शहरीकरण, जीवन-शैली और महत्वाकांक्षा,
- जनसांख्यिकी में बदलाव/प्रयोज्य आय में वृद्धि,
- संगठित खुदरा और निजी लेबल की वृद्धि,
- खाद्य उत्पादों पर अधिक व्यय
- विदेशी खुदरा कंपनियां भारत को अपने एक प्रमुख निवेश लक्ष्य के रूप में विचार करने की इच्छुक हैं। हालांकि विदेशी कंपनियां विदेशी खुदरा विक्रेताओं को घरेलू खुदरा विक्रेताओं के समान अवसर प्रदान करने की मांग करती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण के लाभ

- विकसित खाद्य प्रसंस्करण से न केवल खाद्य बर्बादी रोकी जा सकती है वरन् किसानों के लिए आय के अतिरिक्त साधन भी सृजित किए जा सकते हैं जो कि कृषि के समक्ष एक बड़ी समस्या है।
- वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 13 मिलियन लोग प्रत्यक्ष तौर पर जबकि 35 मिलियन लोग अप्रत्यक्ष तौर पर नियोजित हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर बढ़ोत्तरी होती जा रही है।
- हालांकि खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी के बावजूद कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति नहीं है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि केवल जीवंत खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर से ही किसानों को बेहतर खाद्यान्न मूल्य मिल सकता है और फिर उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है, खाद्यान्न बर्बादी को कम की जा सकती है तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है।
- एक अनुमान के मुताबिक एक औसत भारतीय अपने घरेलू व्यय का लगभग 50 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं पर व्यय करता है और हाल के वर्षों में खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुओं की मांग में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

101 नई एकीकृत शीत शृंखला परियोजनाओं को मंजूरी

- मंत्रालय ने मई, 2015 में 30 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके पश्चात मार्च 2017 में मंत्रालय ने पूरे देश में फैली एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- ये परियोजनाएं फलों और सब्जियां, डेयरी, मछली, मांस, समुद्री उत्पाद, मुर्गी उत्पाद, खाने के लिए तैयार/पकाने के

लिए तैयार खाद्य पदार्थों के लिए है।

➤ इसके अतिरिक्त खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय रणनीतिक योजना द्वारा कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना पर ध्यान कर रहा है जिससे पूरे देश में कोल्ड चेन ग्रिड बनेगा।

➤ मंत्रालय को आशा है कि इस उपर्योग से प्रधानमंत्री के किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

➤ इससे कृषि आपूर्ति शृंखला में बर्बादी कम हो जाएगी और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर जुटाने में भी मदद मिलेगी।

➤ उल्लेखनीय है कि कोल्ड चेन और मूल्य संबद्धन अवसंरचना योजना में उद्यमियों को 10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा सृजन के लिए 3100 करोड़ रुपये के कुल निवेश की जरूरत पड़ेगी। इन परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित ग्रांट-इन-एड 838 करोड़ रुपये होगी।

➤ इन 101 नई कोल्ड चेन परियोजनाओं से 2.76 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज/नियंत्रित वायुमंडल/फ्रोजन भंडारों की अतिरिक्त क्षमता, 115 मीट्रिक टन प्रति घंटे की व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (आईक्यूएफ) क्षमता, 56 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग की क्षमता, 210 मीट्रिक टन प्रति घंटे बैच ब्लास्ट फ्रीजिंग और 629 रेफ्रिजेरेटेड/इंसुलेटेड वाहनों की क्षमता उपलब्ध होगी।

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन
2013-14	265.04
2014-15	252.02
2015-16	252.22
2016-17	275.11
2017-18	228.83 (चतुर्थ अग्रिम अनुमान)

- सरकार का यह भी मानना है कि इन एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं से संबंधित राज्यों में न केवल खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को भी उनके उत्पाद की बेहतर कीमत उपलब्ध होगी जो किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में एक कदम होगा।
- बुनियादी ढांचे से जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी घटाने में मदद मिलेगी इसके अलावा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन में सहायता मिलने के अलावा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बढ़े अवसर पैदा होंगे।
- उपरोक्त कोल्ड चेन अवसंरचना और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और देश में आवश्यक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना बुनियादी ढांचे का और विस्तार करने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा।
- इससे उत्पादकों से प्रसंस्करणकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों से छोटी सुसंगत और संर्पेंडिट आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद मिलेगी और इससे फल और सब्जी तथा दुग्ध प्रसंस्करण तथा गैर-बागवानी खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा।

मेंगा फूड पार्क स्कीम

- 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में अवसंरचना विकास योजना के तहत परिकल्पित कुल 30 मेंगा फूड पार्कों (एमएफपी) से पहले चरण में 10 परियोजनाओं को शुरू करने के निर्णय के साथ सितंबर, 2008 में मेंगा फूड पार्क योजना को मंजूरी दी थी।
- नवंबर, 2010 में 5 और मेंगा फूड पार्कों की स्थापना को अनुमोदित किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य कृषकों, प्रसंस्करण करने वालों तथा रिटेलर्स को एक साथ लाकर कृषि उत्पादनों को बाजार से जोड़ने हेतु तंत्र उपलब्ध कराना है जिससे कि अधिकतम मूल्यवर्द्धन, न्यूनतम बर्बादी, किसानों की आय में बढ़ोतरी तथा

रोजगार के अवसरों का सृजन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित हो सके यह क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है और यह सुपरिभाषित कृषि/बागवानी क्षेत्र में सुनिश्चित हो सके।

- यह क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है और यह सुपरिभाषित कृषि/बागवानी क्षेत्र में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक आधार संरचनाएं स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चलती है।
- मेंगा फूड पार्क में वस्तुतः आपूर्ति शृंखला आधारिक संरचना शामिल होती है जिनमें संग्रह केन्द्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र, केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र, शीत गृह तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों के लिए 30 से 35 पूर्णतः विकसित प्लॉट शामिल होते हैं।
- मेंगा फूड पार्क का क्रियान्वयन स्पेशल परपस ह्वीकल (एसपीवी) द्वारा किया जाता है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निगमीय निकाय है।
- राज्य सरकार, राज्य सरकार की इकाइयों एवं सहकारी संस्थाओं को एसपीवी गठन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्तमान में 42 मेंगा फूड पार्क की अनुमति दी गई है। देश का पहला मेंगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था।

बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य अनेक कदम उठाए हैं, जैसे -

- खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकार ने भारत में निर्मित और उत्पादित खाद्य उत्पादों के बारे में ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा तथा बैंक एंड अवसंरचना का सृजन होगा और रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे।
- सरकार ने अभिहित खाद्य पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों को

रियायती ब्याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपए का विशेष कोष भी स्थापित किया है।

- खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों तथा शीत शृंखला अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाया गया है ताकि खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों और अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध करया जा सके और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन मिलेगा, बर्बादी में कमी आएगी, रोजगार सृजित होगा एवं किसानों की आय बढ़ेगी।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि एवं विनिर्माण के बीच संपर्क सूत्र है। इसकी महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के 25 प्रायोरिटी सेक्टर में इसे शामिल किया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों एवं शीत शृंखलाओं को प्रायोरिटी सेक्टर लॉंडिंग (Priority Sector Lending : PSL) के तहत कृषि गतिविधि में शामिल किया है। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने तथा इस सेक्टर में निवेश बढ़ाने में उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलती है।

- सरकार ने नाबार्ड के तहत 300 मिलियन डॉलर के साथ 'खाद्य प्रसंस्करण फंड' (Food Processing Fnd) नाम से एक विशेष फंड स्थापित किया है जिससे चिह्नित फूड पार्क एवं चिह्नित फूड पार्क में स्थित व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट मिलती है।

- एक डेयरी प्रोसेसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (Dairy Processing & Infrastructure Development Fund-DIDF) की स्थापना 1.67 अरब डॉलर परिव्यय (2017-18 से 2028-29) के साथ की गई है। इससे 50,000 गांवों के 95,00,000 किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है।

राज्य	स्थान	उद्घाटन तिथि
देश का पहला	श्रीणी, चित्तूर	10 जुलाई, 2012
राजस्थान	रूपनगढ़, अजमेर	1 अप्रैल, 2018
आंध्र प्रदेश	श्रीणी, चित्तूर	10 जुलाई, 2012
असम	नालबारी	
छत्तीसगढ़	इंडस, रायपुर	
बिहार	प्रिस्टाइन, खगरिया	
गुजरात	सूरत	29 अक्टूबर, 2018
हरियाणा	सोनीपत	
हिमाचल प्रदेश	क्रेमिका, ऊना	
झारखण्ड	रांची	15 फरवरी, 2016
कर्नाटक	टुमकुर	24 सितंबर, 2014
महाराष्ट्र	सतारा	1 मार्च, 2018
केरल	अलपुऱ्गा	
पश्चिम बंगाल	जंगीपुरा	

➤ मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है जिसकी अधिकतम राशि 7.4 मिलियन डॉलर है। इसके अतिरिक्त लघु क्लस्टर स्थापित करने के लिए अर्ह लागत का 35 प्रतिशत या 1.5 मिलियन डॉलर (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

➤ उत्तम खाद्य गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय प्रयोगशाला लागत का 50 प्रतिशत तथा तकनीकी सिविल वर्क्स लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देता है।

➤ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) के तहत 13 राज्यों के 417 बाजारों को खाद्य उत्पादों एवं कच्चे माल की कुशल बिक्री एवं वितरण के लिए समन्वित किया गया है।

➤ भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय इकाइयों एवं निवेशकों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जाता है।

➤ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देश में राष्ट्रीय कोल्ड चेन ग्रिड का निर्माण कर रहा है ताकि सभी खाद्य उत्पादक केन्द्रों को शीत भंडारण और प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ा जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई कोल्ड चेन अवसंरचना को स्थापित करने में जुटा हुआ है, जिसमें शीत भंडारण और प्रसंस्करण दोनों ही सुविधाएं शामिल हैं।

उपाय :

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसमें उत्पाद की गुणवत्ता व मूल्य में सुधार पर बल, प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल की लागत में कमी के साथ किसानों की आय में वृद्धि

शामिल है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसमें कई सुधार अपेक्षित हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं -

1. निजी क्षेत्रों की भागीदारी में व्यापक विकास को बढ़ावा।
2. पहले से मौजूद केन्द्रों का तकनीकी उन्नयन तथा सहायक उद्योगों (शोध एवं विकास, पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण उपकरण विनिर्माण) में निवेश।
3. साथ तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।
4. विनियामक ढांचा में बदलाव तथा बहु-विभागीय अवरोधों को दूर कर एकल खिड़की अनुमति की व्यवस्था।
5. उत्पादन मानसिकता में बदलाव जिसके तहत मांग एवं लाभ संचालित उत्पादन पर बल।
6. कुशल श्रम शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास पर बल।

उद्योग को महज विदेशी उत्पादों की नकल तैयार करने के बजाय सृजक के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहिए। उद्योग को निश्चित तौर पर ऐसे उत्पाद विकसित करने चाहिए जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी साबित हो।

➤ अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के साथ-साथ समुचित प्रमाणन पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि विभिन्न देशों द्वारा निर्यात को खारिज किए जाने की स्थिति से बचा जा सके।

➤ उद्योग को अपने उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ समुचित प्रमाणन पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि विभिन्न देशों द्वारा निर्यात को खारिज किए जाने की स्थिति से बचा जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े संस्थान

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान

- भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान पहले धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (पीपीआरसी), तंजावुर के नाम से जाना जाता था।
- हालांकि यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है, फिर भी अपने शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

- यह वर्ष 1967 में अस्तित्व में आया। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2006-07 में पूर्व पीपीआरसी को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत बनाने के लिए सरकार की इच्छा की घोषणा की थी।
- इसी आधार पर संस्थान को फरवरी 2008 में अपग्रेड करके नाम बदलकर आईआईएफपीटी कर दिया गया था।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निपटेम)

- कुंडली, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निपटेम) की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में की गई है, जो भारत में और विदेशों में उद्योगों और समान प्रकार के संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से कार्य करता है।
- सरकार द्वारा इस संस्थान को 8 मई, 2012 को डी-नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।
- संस्थान बीटेक (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन), एम. टेक तथा पीएचडी पाठ्यक्रम चला रहा है। इसका पहला शैक्षणिक सत्र 16-08-2012 से प्रारंभ हुआ था।

भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड

- भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड वर्ष 2009 में महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया था। आईजीपीबी को भारतीय संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था।
- बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य और उद्देश्य हैं—नई प्रौद्योगिकियों/प्रक्रिया की शुरुआत के जरिये गुणवत्ता उन्नयन हेतु अनुसंधान एवं विकास सहित भारतीय वाइन क्षेत्र के विकास के लिए विजन और कार्य योजना तैयार करना, भारतीय वाइन क्षेत्र के विस्तार और गुणवत्ता उन्नयन, बाजार अनुसंधान तथा सूचना, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संवर्द्धन पर ध्यान केन्द्रित करना, भारतीय वाइन उद्योग के सतत विकास को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड

- राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी) की स्थापना 2009 में की गई थी।
- राष्ट्रीय मांस तथा पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का अधिदेश देश में मांस और पॉल्ट्री क्षेत्र के विकास का नियोजन करना तथा बोर्ड को और प्रोत्साहन देना है।
- एनएमपीपीबी को स्वच्छ, सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद मांस तथा मांस उत्पाद के उत्पादन से जुड़े मुद्दों को सुलझाना था।

प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना

- यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे वर्ष 2016-20 अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है।
 - इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण
- करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।
- केन्द्र सरकार के अनुमान के मुताबिक केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इस योजना से वर्ष 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के क्षरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन के संचालन, 20 लाख किसानों

को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है। इसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं—

- इसके कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा फार्म के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा।
- इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा।
- इससे किसानों को बेहतर मूल्य पाने में मदद मिलेगी और यह किसानों की आमदनी दोगुना करने के दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इससे रोजगार के बड़े अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे।
- इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ प्रसंस्कृत खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष :

- खाद्य प्रसंस्करण और सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निवेश में इसके योगदान के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभरा है। 2015-16 के दौरान इस क्षेत्र का विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रों में जीवीए का क्रमशः 9.1 और 8.6 प्रतिशत हिस्सा था। एनडीए सरकार के घोषणा-पत्र का बल किसानों के लिए बेहतर आय उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने को प्रोत्साहित देने पर है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जीआईएस और सुदूर संवेदन

संदर्भ

- सुदूर संवेदन और जीआईएस स्थानिक और सामयिक डेटा को संभालने वाले भरोसेमंद उपकरण हैं और प्राकृतिक